



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1091/MP/176/2023-RO-BH

दिनांक: 22/09/2023

1. श्री आशीष सिंह
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला - भोपाल
कलेक्टोरेट, ए-ब्लॉक,
पुराना सचिवालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश -462001
Email Id: dmbhopal@nic.in
Tel. No: 0755-2540494
2. श्री हरि नारायण चारी मिश्रा
पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्त कार्यालय,
जिला - भोपाल
मालवीय नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश -462001
E.mail ID : pc.bhopal@mppolice.gov.in


विषय: अनावेदकगण, अर्चना तिवारी, उपनिरीक्षक, थाना मिसरोद, प्रशांत सिंह चौहान एवं प्रेमलता चौहान निवासी शीतलधाम कॉलोनी, भोपाल द्वारा अभ्यावेदिका के पति के साथ थाना मिसरोद में जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने, गंदी-गंदी गालियां देने एवं मारपीट कर प्रताड़ित किये जाने के संबंध में 70 पृथ्वी कोर्टयार्ड कालोनी समरधा मिसरोद, जिला- भोपाल निवासी कविता धुर्वे से प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ : आयोग का नोटिस दिनांक 24-05-2023

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर यह कहने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने उक्त प्रकरण में दिनांक 05-10-2023 को 10:30 AM बजे आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप उक्त मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों / कार्यवाही रिपोर्ट के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि और समय पर माननीय सदस्य महोदय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


(आर. के. दुबे)
उप निदेशक

E.mail: rk.dubey@ncst.nic.in

mic —